

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

विषय :-वर्ष 2009-2010 व आगे के वर्षों के डीमड कर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-27 के अनुसार जिन व्यापारियों ने वर्ष 2009-2010 के लिए धारा-24(7) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में, निर्धारित रीति से तथा निर्धारित प्रारूप में टर्नओवर तथा टैक्स का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है तथा जिन्हें -

- (1)- धारा-28(1)(a) के प्राविधानों के अनुसार टैक्स आडिट के लिए विनिर्दिष्ट या चयनित नहीं किया गया है या जो धारा-28(1)(b) में वर्णित श्रेणियों में नहीं आते हैं ; या
 - (2)- वार्षिक रिटर्न में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी से दिनांक 31-3-2012 तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है; या
 - (3)- वार्षिक रिटर्न में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी से नोटिस प्राप्त हुई थी और व्यापारी ने नोटिस का उत्तर कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करा दिया था किन्तु तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को दिनांक 31-3-2012 तक उक्त उत्तर को अस्वीकार करने की कोई संसूचना नहीं दी गयी थी ।
- 2- ऐसे सभी मामलों में यह माना जायेगा कि सम्बन्धित व्यापारी का डीमड कर निर्धारण दिनांक 31-3-2012 को व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में दाखिल किये गये आंकड़ों के आधार पर हो गया है ।
- 3- डीमड कर निर्धारण की कार्यवाही को और भी प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

- (1) सभी कर निर्धारण अधिकारी जिन व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-2010 से सम्बन्धित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गयी है उनकी प्रविष्टि आर-5(अ) में करायेगें ।
- (2) उक्त में से जिन व्यापारियों के सम्बन्ध में सुसंगत कारणों से धारा-28 में कर निर्धारण की कार्यवाही की जानी है उन मामलों में उक्त प्रविष्टि के आगे विशेष विवरण के कालम-8 में संक्षेप में यह इंगित करायेगें कि किस कारण से संगत वाद को डीमड कर निर्धारण की कार्यवाही से पृथक किया गया है । साथ ही इस प्रविष्टि के क्रमांक को गोलांकित कराते हुए, इस प्रकरण में प्रथम बार नोटिस दिये जाने के दिनांक का भी अंकन करायेगें ।
- (3) कर निर्धारण अधिकारी, जिन वादों को डीमड कर निर्धारण की कार्यवाही से पृथक किया गया है, उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त उल्लेख करते हुए, उसकी एक सूची ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर के कार्यालय को दिनांक 10-6-2012 तक प्रेषित करेंगे ।

- (4) ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) इन सूचियों का परीक्षण करते हुए दिनांक 30-6-2012 तक यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिना समुचित कारणों के किसी वाद को डीमड कर निर्धारण की परिधि से बाहर नहीं किया गया है।
- (5) डीमड कर निर्धारण की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा (अपरिहार्य परिस्थितियों में पत्रवाहक द्वारा) सम्बन्धित व्यापारी को उसके दर्शाए पते पर दी जायेगी। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व होगा कि सूचना सही पते पर ही प्रेषित की जाय। यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 10-6-2012 तक पूर्ण कर ली जाय।
- 4- उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की सघन मानिट्रिंग का दायित्व सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) का होगा।
- 5- जोन स्तर पर उक्त निर्देशों का अनुपालन जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा सम्पादित कराया जाय।
- 6- डीमड कर निर्धारण के सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 से आगे के वर्षों के लिए भी प्रक्रिया उपरोक्तानुसार अपनायी जायेगी। आगे के वर्षों के लिए इस परिपत्र में अंकित दिनांक 31-3-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीमड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि अंकित समझी जाय। प्रस्तर 3(3) व 3(5) में अंकित दिनांक 10-6-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीमड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि के अनुवर्ती वर्ष की दिनांक 30 अप्रैल एवं प्रस्तर 3(4) में अंकित दिनांक 30-6-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीमड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि के अनुवर्ती वर्ष की दिनांक 31 मई समझी जाय।
- यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी व्यापारी का वाद बिना समुचित कारण के ही डीमड कर निर्धारण की परिधि के बाहर कर दिया गया है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ इसके लिए सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) एवं जोनल एडीशनल कमिशनर को भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(हिमांशु कुमार)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक सँयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (26) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (49) संयोजक,टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

- (53) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मील, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन , विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड , कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट , हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)

(बी०एन० द्विवेदी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ०प्र० ।